राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाऍं

क्रमांकः एफ.26(4)( )IEC/ECE/ICDS/2016/ 160543-879 जयपुर, दिनांकः 1.12.16

1. उप निदेशक,
   समेकित बाल विकास सेवाऍं,
   समस्त।

2. बाल विकास परियोजना अधिकारी,
   समेकित बाल विकास सेवाऍं,
   समस्त।

विषय– ऑंगनबाडी केन्द्रों पर प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा पाने वाले बच्चों के अभिभावकों के साथ प्रत्येक माह अमावस्या तिथि को अभिभावक बैठक (Parents meeting) आयोजित करने के सम्बन्ध में निर्देश।

समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही छह सेवाओं में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ECE) एक महत्वपूर्ण घटक है। विभाग द्वारा ऑंगनबाडी केन्द्रों को "लर्निंग सेंटर" बनाने एवं 3–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रभावी शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए है। इसके अन्तर्गत दैनिक समय सारिणी के अनुरूप बच्चों के बहुआयामी विकास (शारीरिक, भाषाई, रचनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक व भावनात्मक) के लिए सत्र निर्धारित किए गए है, जिससे बच्चे स्कूल शिक्षा के लिए तैयार (School readiness)हो सकें। इस हेतु ऑंगनबाडी केन्द्रों पर विभागीय बजट व जन–सहयोग से शैक्षणिक सामग्री एवं खिलौनों का भी प्रबंध (arrangement) किया गया था।

भारत सरकार ने पूर्व में ECCE दिवस आयोजित करने के निर्देश प्रदान किए थे। उसी प्रकार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसे प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन समय में रखा जाएगा। इस दिन ऑंगनबाडी केन्द्रों पर ऑंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका की बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में बच्चों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों तथा कार्य से अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। बच्चों से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा व अभिभावकों को उनके विकास सम्बन्धी परामर्श दिया जाएगा। बच्चों को यथासंभव प्रोत्साहन स्वरूप कुछ उपहार यथा–खिलौना, पुस्तक, टॉफी या अन्य शैक्षणिक सामग्री भी दी जा सकती है। प्रत्येक बच्चे के सीखने की क्षमता समान नहीं होती है, अतः किसी बच्चे के प्रति नकारात्मक टिप्पणी नहीं की जाए।

अभिभावक बैठक के दिन महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं उप निदेशक भी केन्द्रों की विजिट एवं पर्यवेक्षण करें और इस व्यवस्था को अपने क्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू कराएें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक, आई.सी.डी.एस.

क्रमांकः एफ.26(4)( )IEC/ECE/ICDS/2016/ 160880-926 जयपुर, दिनांकः 1.12.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदया, म.बा.वि., जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सहायक, जिला कलेक्टर, समस्त।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
5. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (I)